लोक स्वराज्य के भटकते कदम

बजरंगलाल

स्वराज्य की आवाज बहुत कर्ण प्रिय होती है, हर व्यक्ति को सुख का अनुभव कराती है किन्तु स्वराज्य की आवाज राजनेताओं के कलेजे में तीर की भाति चुभती है। विचारणीय प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों कोई आदमी किसी दूसरे पर उसकी इच्छा या आवश्यकता के बिना निर्णय का अधिकार थोपना चाहता है? जो व्यक्ति स्वयं को नेता मानता है वह तो सामान्य व्यक्ति से अधिक समझदार होता है। फिर ऐसा समझदार व्यक्ति भी ऐसी इच्छा रखे, यह तो पूरी तरह या नासमझी की बात है। क्या नेता मनुष्य नहीं होता? मेरे विचार में तो ऐसा ही महसूस होता है यह बात वैसे तो पूरे विश्व के नेताओं पर कुछ कम हो या ज्यादा, लागू होती है किन्तु भारतीय नताओं पर तो यह बात पूरी तरह तथा अक्षरशः प्रमाणित होती है। भारत का हर राजनैतिक कार्यकर्ता स्वयं को मनुष्य समझता ही नहीं, सिर्फ नेता ही समझता है जिसका अर्थ होता है अन्य सभी मनुष्यों से श्रेष्ठ, समझदार तथा अन्य सभी मनुष्यों क विषय में उचित अनुचित का निर्णय करने की योग्यता रखने वाला।

भारत में पूर्व काल स अब तक अनेक नेता अथवा राजनीति के संबंध में विचार प्रस्तुत करने वाले महापुरूष हो चुके हैं। बहुत पुराने ऐतिहासिक राजाओं तथा महापुरूषों से चर्चा शुरू न करके हम स्वामी दयानन्द से यह चर्चा प्रारंभ करते हैं क्योंकि वे नवीनतम समय के महापुरूष है जिनके अधिकृत विचार उपलब्ध है। स्वामी जी ने आर्य समाज के दस नियमों में ही इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत निर्णय में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये तथा दूसरों की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाल मामला में व्यक्ति पूरी तरह परतंत्र रहे। मेरे विचार में स्वराज्य की यह परिभाषा स्पष्ट और पूर्ण है। इसमें न तो व्यक्ति की उच्चश्रृंखला को छूट दी गई है न ही व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करने को। व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत सीमा में निर्णय करने की पूरी स्वतंत्रता है किन्तु उसकी अन्तिम सीमा व्यक्तिगत निर्णय तक ही निर्धारित है। स्वामी जी ने जो यह परिभाषा बनाई उसमें व्यक्ति के बाद सीधे समाज मान लिया जबकि व्यक्ति के बाद परिवार स्थान जिला, प्रदेश, राष्ट्र और तब समाज का नम्बर आना चाहिये था।

कार्ल मार्क्स और गांधी भी ऐसे महापुरूष हुए जिन्होंने इस संबंध में व्यापक विचार विमश किया। मार्क्स और गॉधी दोनों ने व्यक्ति को व्यक्तिगत निर्णय की स्वतंत्रता देने की वकालत की है। किन्तु मार्क्स और गाधी के विचारों में कुछ फर्क भी रहा है। मार्क्स ने शासन रहित व्यवस्था की बात कही है और गॉधी ने शासन मुक्त व्यवस्था की। मार्क्स का सिद्धांत यह था कि व्यक्ति भय से ही ठीक–ठीक संचालित हो सकता है। भय तीन प्रकार के है 1. ईश्वर का 2. समाज का 3. शासन का। ईश्वर का भय न के बराबर होने से प्रभावहीन हो गया है। अब तो अनेक हिन्दू भगवान का नाम डकैती ओर चोरी जैसे कार्यो में सफलता के लिये लेने लगे हैं जबकि मुसलमान तो खुदा के लिये ही हत्याऍ करने लगे हैं। संघ परिवार भी अब मुसलमानों का अनुशरण करने लगा है। समाज को कोई ढ़ाचा ही नहों है अतः समाज भी प्रभावहीन है। शासन का अस्तित्व है और वह भय पैदा कर सकता है किन्तु उसकी व्यवस्था भी व्यक्ति के हाथ मे होने से दुरूपयोग हो सकता है। अतः सत्ता धीरे धीरे उपर जाकर अदृश्य हो जावे तथा व्यक्ति ऐसी अदृश्य सत्ता के भय से ठीक काम करता रहे जिसमे सत्ता का कोई अस्तित्व ही न हो। अर्थात् एक प्रकार से प्राणें इश्वर के भय के स्थान पर वैसा ही भय बन जावे। मार्क्स का विचार सफल नहीं हो पाया। लेनिन ने उसे कुछ आगे बढ़ाया किन्तु लेनिन के बाद आये स्टालिन आदि ने इस सिद्धांत को तानाशाही का माध्यम बना लिया और इसे कभी चरम तक पहुॅचाने का प्रयत्न ही नहीं किया। बाद में गांधी जी ने इस संबंध में स्पष्ट विचार प्रस्तुत किये। गाधी जी के काल खण्ड के स्वतंत्रता संघ में सुभाषचन्द्र बोस, भगत सिंह आदि का भी नाम आता है। स्वतंत्रता के प्रयत्नों में सुभाष बाबू, भगत सिंह आदि का प्रयत्न और त्याग गाधी जी से कुछ अधिक ही माना जाना चाहिये किन्तु स्वराज्य के विषय में इन तीनों की सोच भिन्न भिन्न रही है। गॉधी जी मार्क्स की प्रणाली के ठीक विपरीत भय मुक्त समाज के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि सत्ता पूरो तरह नीचे तक विभाजित हो जावे। गॉव तक को निर्णय करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये। वह भी इस तरह कि गॉव के प्रत्येक व्यक्ति को गॉव के निर्णय में बीटो का अधिकार हो अर्थात् स्वतंत्रता पूरी तरह व्यक्ति की होनी चाहिये जिसका नाम ग्राम स्वराज्य हो। सुभाष बाबू और गांधी जी के बीच हिंसक या अहिसक मार्ग का तो भेद था ही किन्तु इससे भी बड़ा वैचारिक भेद यह था कि सुभाष बाबू स्वतंत्रता के बाद अल्प काल के सैनिक शासन की सोचते थे और गांधो जी प्रारंभ से ही शासन मक्त व्यवस्था लागू करना चहते थे। भगत सिंह आदि क्रांतिवीरों के त्याग ओर बलिदान स्वतंत्रता के भगत सिंह हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं किन्तु उनकी भूमिका भविष्य के संबंध में स्पष्ट नीति के संबंध में गॉधी और सुभाष सरीखे उल्लेखनीय नहीं रही।

गाधी और सुभाष के बाद नेताओं का युग आ गया। नेताओं पर किसी का कोई अंकुश रहा नहीं। अतः राजनीति को अपनी सत्ता लिप्त का माध्यम बनाने की शुरूआत नेहरू पटेल युग से हो गई। ये दोनों ही कभी विकेन्द्रीकरण के पक्षधर नहीं रहे। दोनों ने ही सुशासन की बात की है। पटेल ने स्वराज्य को सैद्धान्तिक ओर व्यवहारिक दोनों तरह से अस्वीकार किया और नेहरू जी ने सैद्धान्तिक रूप से स्वराज्य की बात की किन्तु व्यवहारिक रूप से हमेशा स्वराज्य के स्थान पर सुराज्य को तरजीह देते रहे। गॉधी जी के बाद विनोबा जी आये जिन्होंने गॉधी जी की स्वराज्य की अवधारणा को अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हुए कहा कि गॉव को गलती करने तक की स्वतंत्रता का नाम ग्राम स्वराज्य है। किन्तु विनोबा जी न कभी अपने इस विचार को शासन मुक्ति की दिशा में ले जाने का कोइ ठोस प्रयास नहीं किया। उनका भूदान आंदोलन भूमि समस्या के एक स्थायी समाधान का प्रयत्न तो था किन्तु वह इतना बड़ा आंदोलन भी कभी ग्राम स्वराज्य या शासन मक्ति की दिशा में नहीं मुड़ सका।

आधुनिक काल में गॉधी और विनोबा के बाद स्वराज्य की सबसे स्पष्ट व्याख्या की है रजनीश ने। रजनीश नेताओं उपनिषद में लिखा कि शासन जितना कम हो उतना ही अच्छा होता है। शासन का बिल्कुल ही न होना श्रेष्ठता की पराकाष्ठा है यद्यपि ऐसा संभव नहीं। शासन की अधिकता का अर्थ होता है पराधीनता और जब शासन और व्यक्ति के अधिकारो के बीच की दूरी असीम हो जाये तो वह स्थिति पराधीनता की पराकाष्ठा अर्थात् गुलामी होती है। रजनीश ने स्वराज्य की इतनी स्पष्ट व्याख्या करने के बाद भी इसके कार्यान्वयन का कोई प्रयास नहीं किया। परिणाम स्वरूप उनकी व्याख्या विचारो तक ही सीमित हो गई।

स्वराज्य के संबंध में रजनीश और विनोबा जी के ही कार्यकाल में जयप्रकाश जी ने भी बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या दी। उन्होंने गाम स्वराज्य शब्द के स्थान पर लोक स्वराज्य शब्द स्थापित किया। जयप्रकाश जी ने आज से चालीस वष पूर्व पुस्तक लिखी उसमें स्पष्ट लिखा था कि भारत में संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर सहभागी लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिये। उन्होंने उसी समय स्पष्ट लिखा था कि केन्द्र सरकार के पास पॉच छः से अधिक विभाग नहीं रहने चाहिये। अन्य सभी विभाग नीचे की इकाइयों में बंट जावे। किन्तु जयप्रकाश जी की बात विनोबा जी के सामने कमजोर पड़ी। और जब सन् पचहत्तर में जय प्रकाश जी ने निर्णायक संघर्ष किया तो उस संघर्ष में राजनेताआ की मदद लेनी पड़ी और हम पहले ही लिख चुके हैं कि राजनेता अपने को कभी मनुष्य नहीं मानता। वह तो स्वयं को मनुष्यों पर शासन करने का अधिकृत नेता मानता है। जयप्रकाश जी के प्रयत्नों का भी वही परिणाम हुआ और अधिकार प्राप्त होते ही राजनेताओं ने जे.पी. के लोक स्वराज्य के विचार को दूर फककर सुशासन का मार्ग पकड़ लिया।

जे.पी. के बाद श्री ठाकुरदास जी बंग, मनमोहन देसाई, सिद्धराज जी ढढा आदि ने पंद्रह वर्ष पर्व लोक स्वराज्य संघ बनाकर स्वराज्य की अवधारणा को आगे बढ़ाने की नींव डाली। सैद्धांतिक रूप से सहमति के बाद भी कुछ प्रकिया संबंधी मत भिन्नताओं ने उक्त स्वराज्य के बीज को अंकुरित होने के पूर्व ही सुखा दिया।

प्रश्न उठता है कि इतने अच्छे विद्वानों के विचारों और प्रयत्नों में क्या कमी रही जो स्वराज्य का विचार न तो आगे बढ़ पाया न ही स्पष्ट हो पाया। इसके अलग अलग कारण है। सुभाषचंद्र बोस और भगत सिंह की तो इस दिशा में कोई सोच ही नहीं थी। नेहरू जी और पटेल को स्वराज्य की

दिशा में इच्छा नहीं थी। रजनीश अन्य अनेक कार्यो में व्यस्त थे। गॉधी जी, विनोबा जी और जयप्रकाश जी ही कुल मिलाकर ऐसे लोग थे जो स्वराज्य की दिशा में कुछ सोचते भी थे और करना भी चाहते थे। तीना में अच्छा तालमेल नहीं बन पाया। प्रायः प्रत्यक विचारक लगातार चिन्तन करता है, समीक्षा करता है, संशोधन करता है और यदि आवश्यक हो तो अपने पूर्व विचारों को तर्कसंगत तरीके से बदल भी देता है। किन्तु बाद के लोग उक्त महापुरूष के विभिन्न परिस्थितियों तथा विभिन्न संदर्भो को बिना विचारे ही ऐसे भिन्न भिन्न विचारों को उधृत करके महापुरूष के चिन्तन को ही विवादास्पद बना देते ह। गाधी जी के साथ भी यही हुआ। गांधो जी जीवन भर शराब के विरूद्ध रहे। कभी उन्होंने किसी संदर्भ में कहा होगा कि यदि मैं तानाशाह होता ता कानून बनाकर शराब बंद कर देता यह पूरो तरह स्पष्ट है कि गांधी जी शासन मुक्त व्यवस्था के पक्षधर थे। वे ग्राम स्वराज्य पर पूरा पूरा जोर देते थे। गांधीजी कभी भी कानून से शराब सहित किसी भी कुरीति निवारा के विरूद्ध थे किन्तु बाद के लोगों ने उनके शराब संबंधी कथन को आधार बनाकर ग्राम स्वराज्य के विचार को ही विवादास्पद बना दिया। गांधी जी के स्पष्ट सोच को तीन चार अस्पष्टताओं ने नुकसान किया।

1. गाम स्वराज्य के स्थान पर लोक स्वराज्य शब्द उपयुक्त होता। ग्राम स्वराज्य में व्यक्ति और परिवार की स्पष्ट भूमिका होने के बाद भी स्थिति अस्पष्ट हो गई। इसी तरह शहर और ग्राम का भी विवाद खड़ा हो गया। 2. गांधी जी ने व्यक्तिगत और सामाजिक हिंसा को दिये जाने वाले दण्ड के संबंध में उन्हें स्पष्ट समर्थन करना चाहिये था। 3. गांधी जी छुआछूत के विरूद्ध थे। यह सही है। किन्तु छुआछूत को कानून से दण्डनीय बनाने का स्पष्ट विरोध न करने से ग्राम स्वराज्य की अवधारणा धूमिल हुई। विचारणीय मुद्दा है कि जो व्यक्ति चोरी डकैती और हत्या में हृदय परिवर्तन का पक्षधर हो वह छुआछूत को दण्डनीय अपराध का पक्षधर हो ही नही सकता। किन्तु या तो गांधी जी के विचारों में भूल रही या हम समझने में भूल कर बैठे। स्थिति चाहें जो हो किन्तु स्वराज्य की अवधारणा इस अस्पष्टता से धूमिल हुई। गांधी जी की अपेक्षा विनोबा जी की स्वराज्य की अवधारणा अधिक स्पष्ट थी किन्तु विनाबा जी का शासन मुक्ति का मार्ग बिल्कुल अस्पष्ट था। गांधीजो राजनीति से दूरी का अर्थ राजनीति में सक्रियता से दूरी तक सीमित मानते थे किन्तु शासन की गलत नीतियों का विरोध, सत्याग्रह और आंदोलन के पूरी तरह पक्षधर थे किन्तु विनोबा जी ने राजनीति में सक्रियता से दूरी का अर्थ राजनोति निरपेक्ष कर दिया। परिणाम यह हुआ कि शासन मुक्ति का अर्थ शासन पर निर्भरता के अभाव तक सीमित हो गया, शासकीय अधिकार दायित्व तथा हस्तक्षेप को पूरी तरह छुट मिल गई। स्वराज्य की बिल्कुल स्पष्ट अवधारणा होने के बाद भी उसके लिये न कोई सत्याग्रह हुआ न आंदोलन। जयप्रकाश जी की सोच इस संबंध में अधिक तर्क संगत थी। वे ग्राम स्वराज्य के स्थान पर लोक स्वराज्य शब्द के भी पक्षधर थे तथा शासकीय अधिकार, दायित्व एवं हस्तक्षेप कम से कम करके नीचे की इकाइयो को अधिक अधिकार देने के भी पक्षधर। किन्तु विनोबा जी की कार्यप्रणाली से तालमल का अभाव उन्हें कुंठित कर गया। इस वर्ष पूर्व ठाकुरदासजी बंग आदि का प्रयास तो प्रारम्भ ही नहीं हो पाया और मेरे विचार में लोक स्वराज्य संघ का यह पयास रूकना एक बहुत बड़ी भूल थी। इस प्रयास के प्रारंभ होते समय हमारे पास गांधी विनोबा तथा जयप्रकाश जी के विचारों, कार्यप्रणाली सफलता तथा असफलता का अच्छा खासा अनुभव भी था तथा तब तक राजनीति की विश्वसनीयता भी समाज में पूरी तरह समाप्त थी। किन्तु हमारी एक भूल ने हमारे प्रयासा को कई वर्ष आगे ढ़केल दिया।

मैं मानता हूँ कि जब जागे तभी सबेरा। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। बल्कि राजनीति की विश्वसनीयता लगातार घटी ही है। हम आज कम प्रयास से प्रमाणित कर सकते हैं कि शासन मुक्ति ही एकमात्र मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। गांधी जी लगातार समाज सुधार, गाम सुधार, के जो भी प्रयास करते थे वे शासन मुक्ति में सहायक होते थे क्योंकि उससे शासन कमजोर होता था विनाबा जी के कार्यकाल में समाज सुधार के काम तो बहुत तीव्र गति से हुए किन्तु उनका मुँह शासन मुक्ति की दिशा में नहीं था अतः शासन की पकड़ लगातार मजबूत होती गई। अब पुनः हमें उसी दिशा में सक्रिय होना होगा जिसके अनुसार हमारे समाज सुधार के काम तो सब चाहे किन्तु उनकी दिशा शासन के प्रभाव को घटाने वाली हो। साथ ही हम संवधानिक परिवर्तनों द्वारा भी शासन मुक्ति के निरंतर और अधिकतम प्रयास करें। सौभाग्य से इस दिशा में सक्रिय कदम उठा लिया गया है और आशा है कि शोघ ही अनुकूल परिणाम दिखगे।

प्रश्नोत्तर

श्री अरविंद दुबे, रायबरेली, उत्तर प्रदेश

प्रश्न– आपके ज्ञान तत्व से पता चला कि रामानुजगंज शहर में अपराध नियंत्रण का सफल प्रयोग हुआ है। आज समाज में अपराधियों की संख्या लगभग पंचान्नवे प्रतिशत से भी अधिक है तथा लगातार बढ़ रही है। प्रश्न उठता है कि ऐसी विकट स्थिति में यह कार्य कैसे संभव है? आप विस्तार से प्रकाश डालें कि इतना अपराध क्यों बढ़ा और नियंत्रण कैसे संभव हागा?

उत्तर – अक्ट्बर बीस को मैं जलगॉव में था। वहॉ भी शिविर में यह प्रश्न उठा। लगभग सभी उपस्थित साथियों ने समाज में अपराधियों का प्रतिशत नब्बे से अधिक बताया। किसी किसी ने तो निन्यान्नवे प्रतिशत तक बताया। सबका यह कहना था कि चरित्रवान लोगों का प्रतिशत इतना कम हो गया है कि उनके दिन रात प्रयत्नों के बाद भी अपराधो घटने के स्थान पर बढ़ रहे हैं। मैंने उन्हें विस्तार से समझाया कि ये चरित्रवान लोग किस तरह नासमझी से जमीन पर लाठी पीट रहे हैं जबकि सर्प तो बिल में घुसा है।

सच्चाई यह है कि समाज में तीन प्रकार के लोग हैं 1. अच्छे आदमी 2. बीच के लोग 3. अपराधी। समाज में वर्तमान समय में अच्छे लोगों का प्रतिशत लगभग एक, अपराधियों का प्रतिशत लोग समाज सेवा भी करते हैं और समाज की चिन्ता भी करते हैं। दो प्रतिशत लोग सर्वदा समाज पर अत्याचार करते हैं तथा दूसरों का अहित करके अपना हित करते हैं। शेष सन्तान्नवे प्रतिशत लोग समाज की सामान्य परंपरा अनुसार अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग न समाज की सेवा करते हैं न ही समाज पर अत्याचार। ये लोग सिफ अपने परिवार तक सीमित रहते हैं। जब समाज में अच्छे लोगों का वर्चस्व होता है तो ये बीच के लोग अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहते है और जब समाज में बुरे लोग मजबूत होते हैं तब ये लोग उन अपराधियों के साथ समझौता कर लेते हैं। ये सन्तान्नवे प्रतिशत लोग कभी अपराध नहीं करते किन्तु ये लोग कभी उनसे टकराते भी नहीं। अच्छे लोगों को परिस्थिति अनुसार इन बोच वालों से व्यवहार करना चाहिये। जब समाज शक्तिशाली हो तब इन बीच वालों से दूरी बनाकर रखनी चाहिये और जब अपराधी मजबूत हो तब इन बीच वालों को साथ लेकर चलना चाहिये।

आज समाज कमजोर और अपराधी मजबूत है। हमारे चरित्रवान लोगों को चाहिये था कि बीच के लोगों से संबंध ठीक रखें। किन्तु हुआ इसके ठीक विपरीत। इन एक प्रतिशत चरित्रवानों ने बीच वालों को भी अपराधी मानना शुरू कर दिया और इस भूल का दुष्परिणाम हुआ कि अपराधी तो नये पथ्य में चले गये और बीच वालों से अच्छे लोगों का संघर्ष शुरू हो गया। दो प्रतिशत धूर्त अपराधियों न अपना ऐसा मायाजाल फेंका कि चरित्रवान लोग अपनी सारी शक्ति सन्तान्नवे प्रतिशत पर खर्च करने लगे और दो प्रतिशत अपराधी पूरी तरह सुरक्षित हो गये। इन धूर्तो के मायाजाल ने हमारी सोच पर एसा पर्दा डाला कि हमारे चरित्रवान लोग डकैती, बलात्कार और आतंकवादियों के तो हृदय परिवर्तन की वकालत करने लगे किन्तु जुआ, गाजा, शराब, वैश्यावृत्ति के विरूद्ध कानूनी प्रतिबध लगवाकर उन्हें दण्ड दिलाने लगे। अपराधियों ने स्वयं को सुरक्षित करने के लिये अपराध शब्द की परिभाषा ही बदल दी। उन्हाने तस्करी, वैश्यावृत्ति शोषण, दहेज, छुआछूत, बाल विवाह आदि गैर कानूनी कार्यो को अपराध घोषित कर दिया और हम अच्छे लोग भी उन अपराधियों की हॉ में हॉ करने लगे। चरित्रवान लोगों का अपने चरित्र का अहंकार इस सीमा तक बढ़ा कि उन्हें निन्यान्नवे प्रतिशत समाज अपराधी दिखने लगा।

मैंने रामानुजगंज में सबसे पहले अपराधियों के लिये एक पृथक श्रेणी निर्धारित करके उन्हें बीच वाला से पृथक किया। चरित्रवानों को एक नम्बर, गैरकानूनी कार्य वालों को दो नम्बर और अपराधियों को तीन नम्बर की पहचान दी। दो नम्बर वालों से तादात्म्य स्थापित किया और स्वयं का भी दो नम्बर का घोषित किया। मैं स्वयं आर्य समाजी हूँ। मेरे पूरे परिवार में शराब, जुआ, तम्बाकू, पान तक का सेवन नहीं है। चाय भो सिर्फ एक भाई पीते है। छुआछूत बिल्कुल नहीं मानी जाती। फिर भी मैं शराब, जुआ, वैश्यावृत्ति, तस्करी, ब्लैक, छुआछूत मानने वालों के हृदय परिवर्तन के प्रयास तक स्वयं का सीमित कर

लिया किन्तु ऐसे व्यक्तियों का अपराधी मानना बंद कर दिया। यहॉ तक कि भारत के अनेक चरित्रवान लोगों ने मरे इस कदम का बहुत विरोध किया। कुछ लोगों ने तो मेरे विरूद्ध भी प्रचार करना शुरू किया किन्तु मैं ऐसे चरित्रवानों को नासमझ मानकर अपनी लीक पर चलता रहा। गांधी जी ने कहा था कि पाप से धृणा करो पापी से नहीं किन्तु हमलोग गांधी जी की बात को भूलकर कार्य के स्थान पर कर्ता को ही अपराधी घोषित करने लगे। मैंने इन चरित्रवानों की विपरोत सोच से स्वयं को दूर कर लिया। परिणाम हुआ कि अपराधियों की शक्ति घटी, अलग पहचान बनी तथा वे अल्पमत में आ गये।

मैं यह महसूस करता हूॅ कि हमारे देश के चरित्रवानों का चरित्र अपराध नियंत्रण में तभी सहायक हो सकता है जब वे अन्य सबको अपराधी मानने की अपनी सोच बदलें। उन्हें इस बात को स्वीकार करना चाहिये कि चोरी, डकैती मिलावट, कमतौल, बलात्कार, जालसाजी, हिंसा, आतंक जैसे अपराधों के अतिरिक्त कानूनों का उल्लंघन करने वाला अपराधी नहीं है बल्कि अपराधी तो वह सरकार है जिसने स्थानीय तथा सामाजिक व्यवस्था में हस्तक्षेप करके सारी शक्ति अपने हाथ में केन्द्रित कर ली और इनके विरूद्ध कानून बनाये। ऐसी अपराधी सरकार के ऐसे अनावश्यक कानूनो के पालन को चरित्र के साथ जोड़ने वाले नासमझ चरित्रवानों को समझाने की आवश्यकता है और यदि ये न समझे तो इन्हें ओझल करके हम सब लोगों को नये स्वरूप में संगठित होने की आवश्यकता है।

1 श्री आत्माराम जी सरावगी 70 हिन्दुस्तान पार्क कलकत्ता, बंगाल – 7000291

प्रश्न – आपसे लोक स्वराज्य यात्रा के अन्तर्गत कलकत्ता में संपर्क हुआ। आपके विचार भी सूने और चर्चाऍ भी हुई। आप पहले बात तो यह बताने की कृपा करें कि लोक स्वराज्य यात्रा के परिणाम आपकी अपेक्षा से कितने प्रतिशत अनुकूल रहे।

आपकी पुस्तक ''आर्थिक समस्याऍ और समाधान'' मैंने पढ़ी। मेरे विचार में आपकी सोच व्यावहारिक नहीं दिखती क्योंकि सब कुछ ठीक होते हुए भी ये विचार लागू कसे होंगे यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या आपके पास ऐसे विचार लागू करने की भी कोई योजना है।

उत्तर– मैंने उन्तीस अगस्त को सेवाग्राम बाबू कुटी के समझ यह घोषणा की कि आगामी पांच वर्षो की समयबद्ध योजना में भारत में सत्ता प्रधान व्यवस्था (Parliamentry Democracy) के स्थान पर विकेन्द्रित व्यवस्था अर्थात् लोक स्वराज्य (Parliamentry Democracy) स्थापित होने के लिये पूरा प्रयास करूॅगा। इस हिसाब से बंग जी के नेतृत्व में यह पहली यात्रा थी। विवरण ज्ञान तत्व अंक उन्हत्तर में गया है। पूरे भारत में पहली बार इस संबंध में कोई सुनियोजित योजना का प्रारूप सामने आया है। सभी स्थानों पर इस विचार को लोगों ने सुना समझा। कई स्थानों से अच्छा समर्थन भी मिला। सभी स्थानों पर आप जैसे कुछ सक्रिय मित्रों से संपर्क हुआ। डमकपं ने भी काफी महत्व दिया। देश भर के समाचार पत्रों ने तो दिया ही, नागपुर आकाशवाणी तथा जी न्यूज ने भी समाचारों में महत्व दिया। मैं पहले प्रयास से पूर्णतः उत्साह में हूॅ। दूसरा कार्यक्रम जनवरी से पारंभ करना था किन्तु तत्काल प्रारंभ कर दिया गया है। पूरे भारत के हर जिले में आधे आध दिन की मिटिंग रखी जा रही है। प्रयास है कि पांच वर्षो की कार्य अवधि को अधिक प्रमाणित किया जा सके।

आपने आर्थिक समस्याओं के समाधान के कार्यान्वयन की कठिनाई को रेखांकित किया हैं। मैं आपके विचारों से सहमत हू। अनुसंधान के समय में हम लोगों ने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, नैतिक आदि अनेक मुद्दों पर विचार किया किन्तु हम सबको लेकर आगे नहीं बढ़ रहे हैं। य सब विषय वैचारिक चर्चा में तो शामिल हैं किन्तु जनमत जागरण में अभी इनकी भूमिका नही के बराबर है। आर्थिक असमानता दूर करने तथा श्रम मूल्य वृद्धि का यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। किन्तु यह कार्य समाज नहीं कर सकता बल्कि यह कार्य तो व्यवस्था परिवर्तन के बाद का है। नई व्यवस्था के संविधान में पांच प्राथमिकताऍ रखी गई है। 1. लोक स्वराज्य 2. अपराध नियंत्रण 3. आर्थिक असमानता नियंत्रण 4. श्रम मूल्य वृद्धि 5. समान नागरिक संहिता। इनमें से प्रथम लोक स्वराज्य को ही लेकर जनमत जागरण का काम हो रहा है शेष चार अभी महत्वपूर्ण होते हुए भी विचार तक सीमित हैं। अतः आर्थिक विचारों के कार्यान्वयन की न कोई योजना है न अभी हमारी कोई प्राथमिकता है।

2 श्री शेखर सोनालकर, बलीराम पेट, जलगॉव, महाराष्ट्र।

आपके जलगॉव के भाषण को मैंने बहुत ध्यान से सुना। आपने कई तथ्य प्रस्तुत किय। किन्तु कई स्थानों पर आपने असत्य का सहारा लिया :– 1. आपने कहा कि भारत की जनता जो टैक्स देती है वह पहले केन्द्र और प्रदेश सरकारों के पास इकट्ठा होता है तथा पुनः स्थानीय इकाइयों के पास व्यवस्था के लिये भेजा जाता है। धन की इस आवाजाही की व्यवस्था तथा भ्रष्टाचार में पचासी प्रतिशत पैसा खर्च हो जात है। जो पंद्रह प्रतिशत स्थानीय इकाइयों तक मिलता है उसके खर्च के लिये भी उपर से पूरा मार्गदर्शन तथा नियंत्रण रहता है। नई प्रणाली ऐसे विकसित हो कि स्थानीय इकाइयॉ धन इकट्ठा करें और उपर की इकाइयां का उनके खर्च मात्र का धन दे। शेष वे अपने अनुसार खर्च करे। दूसरी बात आपने यह कही कि व्यक्तिगत पेड़ कटाई पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं होना चाहिये। आपने यह भी कहा कि अपने खेत के पेड़ काटकर बेचने पर भी शासन एक चौथाई तक कर के रूप में लेता है। इसी तरह आपने साइकिल पर किसी प्रकार के कर की भी बात कहीं।

मैं चार्टड एकाउन्टेंट भी हूॅ और पर्यावरण प्रेमी भी। मैं अच्छी तरह जानता ह कि एक हजार की आबादी का गॉव वर्ष भर में दस हजार रू. से कम ही टैक्स देता है। ये स्थानीय इकाइयॉ और कोई टैक्स तो देती नहीं। फिर य कैसे अपना खर्च चलायेगी और कहॉ से उपर को धन देंगी। दूसरी बात यह है साइकिल पर कहीं कहीं नगरपालिका का तीन रू. टैक्स लगता ह जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं। पेड़ काटने की छूट की वकालत करना तो बिल्कुल ही गलत है। पहली बात तो ऐसी रोक नहीं हैं। पांच पेड़ लगाने वाले को पेड़ काटने की तुरन्त अनुमति मिलती है। और यदि रोक लगी भी हो तो वह जनहित में है। आपको इसका समर्थन करना चाहिये। मेरा अन्तिम प्रश्न यह है कि सर्वोदय लगातार प्रभावहीन होता जा रहा है। नवयुवकों की संख्या नगण्य है। अनुभवी और विचारवान वृद्ध भी या तो घट रहे हैं या थक रहें हैं? आप सर्वोदयी है तो बताइयें कि आप इस संबंध में क्या सोच रहे है।

उत्तर– मैने आपके समक्ष जो बातें कहीं है वे पंद्रह वर्षो के किये गये अनुसंधान पर आधारित है किसी प्रकार की किताबी ज्ञान पर नहीं। आप चकि सी.ए. तक पढ ह इसलिये आप मेरे निष्कर्षो को अधिक आसानी से समझ सकेंगे। (1) आपने ग्रामोण नागरिका द्वारा दिये गये प्रत्यक्ष कर ''भूराजस्व को ही जोडा है। अप्रत्यक्ष कर को नही बिक्री कर, प्रवेश कर, उत्पादन कर आदि के नाम पर उपभोक्ताओ से लिये जाने वाले अप्रत्यक्ष कर को जोडकर देखिये। सरसो तेल के पॉच रूपये से आठ रूपय प्रति लोटर तक का कर देने म क्या उस ग्रामोण की भूमिका नहीं है? रोटी, कपडा, मकान बनाने के समान, दवा, पशुचारा आदि पर लगने वाले किसी भी कर मे ग्रामोण की भूमिका है। अधिकांश खनिज ग्रामोण क्षेत्र से ही निकाला जाता है सारी की सारी वनोपज ग्रामोण क्षेत्र का उत्पादन है फिर मै तो नही कहता कि गॉव और शहर को बांटना है। यदि आपकी नजर मे शहर वाला के दिये हुये टैक्स पर ग्रामोण क्षेत्र पतला है तो आपकी सोच गलत है सच्चाई यह है कि कुल आय का प्रतिशत ग्रामोण क्षेत्र का अधिक है किन्तु व्यय शहरी क्षेत्र म अधिक हैं। और यदि इसके विपरोत भी हो तो यह क्यो जरूरी है कि उसे उपर इकट्ठा करके बांटा जाये। सबको अपना अपना इकट्ठा करने और खर्च करने दीजिये। यदि आर्थिक असमानता बहुत अधिक हो जावेगी तब उपाय सोच लेंगे। मेर विचार में कोई समस्या नहीं है। आपने लिखा है कि साइकिल पर कोई टैक्स नहीं है तो कृपया सुधार करें कि साइकिल पर भी उत्पादन कर और बिक्री कर मिलाकर कीमत का लगभग एक चौथाई हो जाता है। आप पुनः जानकारी करने की कृपा करें।

आप पर्यावरण प्रेमी ह और पेड़ों की कटाई पर से प्रतिबंध के पक्षधर हैं कि पेड़ों की संख्या लगातार बढ़ती रहें। आजकल पर्यावरण प्रेमी कहने और बनने का एक शौक चल पड़ा है। भारत के अधिकांश पर्यावरण प्रेमी ऐसे ही हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपनी भूमि पर कभी पर्यावरण सुधार के लिये पेड़ नही लगाये। या तो नये लोग फोटो खिचवाने के लिये पर्यावरण प्रेमी हैं या दूसरों के लगाये गये वृक्षारोपण पर अपना कानून लागू करवाने के लिये। वास्तविक पर्यावरण प्रेमी तो मैं हूॅ जिसने अपनी भूमि पर कई हजार पेड़ बिना शासकीय सहायता के लगाय है। मेरे जैसा व्यक्ति भी व अपने साथियों को

सलाह देता है कि अपनी जमीन पर पेड़ लगाना तब तो उपयोगी हो सकता है यदि आप सरकारी कानूनों के आधार पर कोई मार्ग निकाल सकते हो अन्यथा पेड़ लगाना किसी आधार पर बुद्धिमानी नहीं है। मैंने तो भूल कर ही दी है।

आपने कारखाना लगाया, प्रदूषण पैदा किया, धन कमा कमाकर तिजोरियों में रखा या भवन बनवाया और मैने अपनी भूमि में पेड़ लगायें। आपके प्रदूषण से, धन इकट्ठा करने से जो समाज को कठिनाई होगी उसके निराकरण के लिये मेरे पेड़ काटने को रोक दो। यदि मैं काटना भो चाहूँ तो अपनी बाकी बची भूमि पर भी पेड़ लगाकर फसा द्। तब काट सकूगा। यह आपकी न्यायसंगत सलाह है। मैं आपको पर्यावरण प्रेमी तो तब मानता जब आप ऐसे लग हुए कुछ पेड़ों की जमीन को खरीदकर पर्यावरण की सुरक्षा करते। क्या यह उचित नहीं होगा कि शासन ऐसे निजी वृक्षारोपण पर कुछ वाषिक मुआवजा देता रहे जिससे वे पेड़ कभी न कटें बल्कि नये पेड़ लग जावें और सारा टैक्स डीजल पेट्रोल पर लगा द या प्रदूषण कर्ताओं पर लगा दे। मेरे खेत में पेड़ों से जो सालबीज और तेंदू पत्ता निकलता है वह भी मैं सरकार को ही बेच सकता ह जो आधी कीमत पर खरीदती है। मै अपने खेत का बांस या इमारती लकड़ी बिना अनुमति के काट या बेच नहीं सकता। यदि किसी तरह मैंने अनुमति प्राप्त कर ली तो शासन मरी लकड़ी खरीदने वाले से बीस से पच्चोस प्रतिशत टैक्स के रूप में ले लेगा। यदि शासन अपने खेत की लकड़ी काटने की छूट द दे और उस पर से टैक्स हटा दे तो बडो मात्रा में वृक्षारोपण हो सकता है किन्तु प्रदूषण करने वालों के दुष्प्रचार और एक भी पेड़ बिना लगाये पर्यावरण वादी बनने वाले समाज सेवकों की अफवाह बहुत काम करती है कि ऐसी छूट से बहुत पेड़ कट जावेंगे। मैं मानता हूँ कि छूट होते ही एकाएक बहुत पेड़ कटेंगे क्योंकि जो पेड़ लगाकर पछता हैं। वे तो काट लेंगे ही परन्तु जब उन्हें विश्वास हो जायेगा कि भविष्य में कोई रोक नहीं लगेंगी तथा पेड़ काटेगा नहीं बल्कि लगावेगा। यदि ऐसी छूट मिल जावे तथा टैक्स हट जाव तो मैं स्वयं पेड़ काटने के स्थान पर लगाने का प्रयास करूँगा। यदि आप पूरे भारत में ऐसा नहीं कर सकते तो सिर्फ एक जिले में ऐसी छूट देकर देखिये।

अन्त में मैं अपने पाठकों से निवेदन करता हूँ कि वे इस संबंध में विचार मंथन में शामिल हों। विशेष कर पर्यावरण वादियों से अवश्य पूछे कि उनका पर्यावरण सुरक्षा में कितना योगदान है। आशा है कि आप पत्र लिखेंगे।

आपने लिखा है कि सर्वोदय में नवयुवकों की संख्या नगण्य है। इस संबंध में मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह प्रश्न सर्वोदयो मित्रों से करें तो अच्छा होगा। मैं तो सिर्फ सर्वोदय का मित्र हूँ। मेरा सर्वोदय से संबंध गांधी विनोबा जयप्रकाश के अनेक अनमोल विचारों में से एक विचार शासन मुक्ति के प्रयत्नों तक सीमित है । अतः मैं इस संबंध में अधिक जानकारी दे नहीं सकूँगा।

3 श्री जयदेव आर्य

आर्य समाज के एक प्रमुख विद्वान स्वामी अग्निवेश जी का एक चित्र नरेन्द्र मोदी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए छपा है। इसी तरह राजधर्म मासिक में अग्निवेश जी द्वारा अध्यात्म जागरण मंच बनाकर उसके बैनर तले सोनिया गांधी, मौलाना रफीक, विश्वनाथ प्रताप सिंह आदि की मिटिंग करवाई जहॉ आध्यात्मिकता शून्य विचारों का आदान प्रदान हुआ। साम्यवादी, कांग्रेसी, तथा भाजपा विरोधी लोगों को इकट्ठा करके मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रयास करने वाले एकपक्षीय लोगों के साथ स्वामी जी जैसे लोगा की उपस्थिति समझ में नही आती। यदि मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलकर राजनैतिक लाभ ही प्राप्त करना उद्देश्य है तो धर्म निरपेक्ष जैसा शब्द क्यों जोड़ना चाहियें? एक बार एक ऐसी ही तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बैठक म मेरे विशेष आग्रह पर विनय कटियार को भी आमंत्रित किया गया था। जस्टिस अहमदी का एक सुझाव आया कि राम जन्मभूमि के स्थान पर एक साथ मंदिर और मस्जिद बना दी जाये तो विनय कटियार ने उत्तर दिया था कि सिर्फ रामजन्म भूमि ही नहीं, देश के सभी मंदिरों और मस्जिदा में सबको अपनी अपनी आस्था अनुसार उपासना की इस शर्त पर छूट दे दी जाय कि वहॉ किसी दूसरे को कोई विध्न न हो। यह प्रस्ताव स्वोकार नहीं हुआ। जस्टिस अहमदी भी उठकर चले गये। जयप्रकाश जी को जब समाज सुधार का जनून सवार हुआ तो जनेऊ और चोटी के विरूद्ध तो उन्होंने फतवे जारी किये किन्तु दाढ़ी बुर्का ओर केश के विषय में मौन रहें। भारत म गांधी सहित जिस भी समाज सेवो की इच्छा हुई उसने हिन्दू समाज को उपदेश देना शुरू कर दिया। बाल विवाह, छुआछूत, मंदिरों में पशुबलि आदि कुरीतियों पर हिन्दू समाज ने गौर भी किया। किन्तु किसी समाज सुधारक ने मुसलमानो को न कुछ कहा न उन्होंने माना। हिन्दुओं की समाज व्यवस्था पर पेशवर पण्डितों का हस्तक्षेप नहीं है। यहॉ सामाजिक कुरीति का निर्णय स्वतंत्र रूप से होता है किन्तु मुसलमान तो हर मामले में मुल्लाओं पर आश्रित हैं। हमारे धर्म निरपेक्षों को मुल्लाओं की धर्मान्धता दिखती ही नहीं उन्हें हिन्दुओ की कुरीतियॉ दिनरात सताती है। जो नफीसा अली गुजराज में मुसलमानों पर होने वाले अत्याचारों का दिन रात रोना रोती रहती हैं उन्होंने एक बार भी उस हिन्दू युवक के विषय में नहीं लिखा लिसे ऑख निकालकर तब तक टक के नीचे दबाकर रखा गया जब तक वह मर न जाये। स्वामी अग्निवेश जी अपने तथाकथित धर्मनिरपेक्षों के साथ जाकर दिल्ली चॉदनी चौक के बल्लीमारान में तथा मेवात में जाकर सर्वेक्षण क्यों नहीं कराते कि वहॉ के हिन्दुओं की क्या स्थिति है? सौ हिन्दुओं के बीच एक मुसलमान घर और सौ मुसलमानों के बीच एक हिन्दू घर के अनुभवों की तुलना अग्निवेश जी करने के बाद ही कोई निष्कर्ष निकाले तो ठीक रहेगा। मैं चाहता हूँ कि अग्निवेश जी स्वयं चाहें जो करें किन्तु कोई ऐसा काम न करें जो आर्यसमाज क लिये अहितकर हो। म चाहता हूँ कि आप भी इस दिशा में सहायक हो।

उत्तर– आर्य समाज अब आर्य समाज रहा ही नहीं । उसके तीन टुकड़े हो चुके हैं। 1. वे लोग जो कांग्रेस के साथ जुड़कर मुसलमानों की चापलूसी और हिन्दूओं को उपदेश देत रहते हैं। 2. वे लोग जो संघ परिवार के साथ जुड़कर मुसलमानों को साम्प्रदायिक और हिन्दुओं को कायर कहकर उन्हें मुसलमानों के समान ही साम्प्रदायिक बनने के लिये प्रेरित करते रहते हैं। 3. वे लोग जो दोनों ही विचारों से दूर रहकर समाज सेवा में तल्लीन रहत हैं। निश्चित रूप से तीसरा वर्ग दो की अपेक्षा ठीक है किन्तु आदर्श नहीं। मैं मानता हूँ कि समस्याओं से लाभ उठाने को कोई प्रयास उचित नहीं किन्तु समस्याओं की अनदेखी करना भी तो ठीक नहीं है। अतः एक ऐसा और समूह बनना चाहिये जो समस्याओं के ठीक ठीक आंकलन और समाधान की दिशा में पहल करें।

इस प्रश्न पर विस्तृत विचार आवश्यक है। कांग्रेस और संघ परिवार ने साम्प्रदायिकता को भारत की सबसे महत्वपूर्ण समस्या के रूप में स्थापित कर दिया है जबकि भारत की ग्यारह समस्याओं – 1. चोरी, डकैती 2. बलात्कार 3. मिलावट 4. धोखा, जालसाजी 5. आतंकवाद 6. भ्रष्टाचार 7. चरित्र पतन 8. साम्प्रदायिकता 9. जातीय टकराव 10. आर्थिक असमानता 11. श्रम शोषण। में से पत्येक का महत्व लगभग समान ही है। किन्तु सभी राजनैतिक दलों ने धर्मनिरपेक्षता बनाम साम्प्रदायिकता को ऐसा मुद्दा बना दिया है कि उसके समक्ष भ्रष्टाचार और आतंकवाद भी कोई मुद्दा नहीं है। विश्वनाथ प्रताप सिंह और अटल बिहारी बाजपेयी पूरी तरह ईमानदार प्रमाणित हो चुके हैं किन्तु इन्हें भी नकली धर्म निरपेक्ष और साम्प्रदायिक कहने की परंपरा सी बन गई है। बड़े–बड़े भ्रष्ट लोग अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिये साम्प्रदायिकता को सफलता पूर्वक हौव्वा के आकार में खड़ा कर लेते है।

भारत में साम्प्रदायिकता के आधार पर दो गुट बन गये है। 1. कांग्रेस, वामपथी तथा अन्य धर्मनिरपेक्ष लोग जिन्होंने पचास वर्षो तक मुसलमानों की चापलूसी करके राजनैतिक लाभ उठाया। 2. भाजपा, संघ परिवार शिवसेना आदि वे राष्ट्रवादी लोग जिन्होंने धर्मनिरपेक्षों की इस कमजोरी का लाभ उठाकर हिन्दुओ में साम्प्रदायिकता के बीज बोये। भारत में साम्प्रदायिकता दो राजनैतिक दुकानदारों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का परिणाम मात्र है जिसमें आर्य समाज भी बंटकर नुकसान उठा रहा है। न तो कांग्रेस और वामपंथ को धर्मनिरपेक्षता स कुछ लेना देना है नहीं भाजपा और संघ परिवार को हिन्दुत्व से।

इस संबंध म एक कहानो पर विचार करने की आवश्यकता है। एक शहर में दूसरे शहर के एक बड़े व्यापारी का लड़का एक बड़े व्यापारी की दुकान के सामने फुटपाथ पर वैसी ही दुकान शुरू कर देता है। व्यापारो उसे हर संभव सुविधा का वचन देता है तथा उसे सदा के लिये फुटपाथ पर बैठने

की अनुमति देता है। बड़े व्यापारी की दुकान पर जाकर भी फुटपाथ वाला ग्राहकों को समझाना शरू कर देता है किन्तु बड़ा व्यापारो अपनी आदत के अनुसार न तो ग्राहक से व्यवहार सुधारता है न ही उसे ऐसा करने से रोकता है। धीरे धीरे फुटपाथ वाले की दुकान पर ग्राहक बढ़ते हैं और दुकानदार को घटने शुरू हो जाते हैं। स्थानीय प्रशासन दुकानदारों की बिक्री पर टैक्स लगा देता है तथा यह भी आदेश देता है कि ग्राहक से दुर्व्यवहार करने वाला दुकानदार दण्डित होगा किन्तु यह आदेश सिर्फ दुकानदारों पर ही प्रभावशील होगा, फुटपाथ वालों पर नहीं। अब दुकानदार को चिन्ता शुरू होती है। वह फुटपाथ वाले को अपनी दुकान के पास आकर ग्राहकों से बात करने से रोकता है तो कांग्रेसी और वामपंथी उसे उसकी परंपरा और वचन की याद दिलाते हैं। वह दुकानदार स्थानीय टैक्स और ग्राहक समान कानून फुटपाथ वालों पर भी लागू करने की बात करता है तो कांग्रेसी और वामपंथी उसे अस्वीकार कर देते हैं। धीरे धीरे वह फुटपाथी अपने बाहरी परिवार वाले से जुड़कर उनकी सलाह लेना शुरू करता है। बाहरी परिवार जन उस दुकानदार को कमजोर करके उसे फुटपाथी बनाने तक ही धमकी देते हैं। तब इस दुकानदार के पास भाजपा और संघ परिवार वाले पहुॅच कर उसे अपना मोहरा बनाना शुरू कर देते हैं। वे लोग दुकानदार को समझातें हैं कि यह फुटपाथी धीरे धीरे तुम्हें कमजोर करके स्वयं दुकानदार बन जायेगा और तुम फुटपाथी रह जाओगे। दुकानदार संघ परिवार की चालाकी को परिवार के कुछ आर्य समाजी तथा सर्वोदयी विचार के लोग भी दुकानदार को फुटपाथी के विषय में नरम रूख की वकालत करते हैं क्योंकि 1. सहायता करना दकानदार की पारिवारिक संस्कृति है। 2. दुकानदार का स्वयं का ग्राहकों के प्रति खराब व्यवहार होने से फुटपाथो उसके ग्राहक तोड़ने में सफल है। 3. दुकानदार ने फुटपाथी को शरण और सहायता दी है अब विरोध ठीक नहीं।

इस तरह दुकानदार के अपने हो परिवार के लोग तीन भाग में बांटकर कांग्रेसी, भाजपाई और सुधारवादी बनकर खींचतान में लग गये हैं जबकि फुटपाथी को स्थानीय के साथ साथ बाहरी परिवार वालों का भी पूर्ण समर्थन है। दुकानदार और फुटपाथी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है।

उपर लिखे उदाहरण से स्पष्ट है कि हिन्दू दुकानदार, तथा मुसलमान फुटपाथी, की भूमिका में है। इस टकराव में कांग्रेसी वामपंथी और संघ भाजपा को तो राजनैतिक स्वार्थ दिखता है किन्तु आर्य समाज क्यों तीन भागों म बंट रहा है वह समझ से परे हैं। आध्यात्म जागरण मंच बनाकर, स्वामी अग्निवेश जी ने एक पक्ष वालों को बुलाकर भूल की यह सही है किन्तु ऐसे स्थान पर दूसरे पक्ष को बुलाने से मीटिग धर्मनिरपेक्ष तो नहीं हो गई। धर्म के नाम पर राजनीति की रोटी सेंकने वाले धर्म निरपेक्ष तथा विनय कटियार सरीखे धर्म रक्षकों से अलग हटकर कोई धर्म निरपेक्ष मोर्चा यदि बनेगा तभी यह झगड़ा सुलझा सकेगा, अन्यथा नहीं।

मैं तो इस मत का हूॅ कि फुटपाथी (मुसलमान) को दुकानदार (हिन्दू)की शराफत का लाभ उठाने में सहायता करना पूरी तरह गलत है क्योंकि उसका लक्ष्य विदेशियों से मिलकर भारत को दारूल इस्लाम में बदलना है। दूसरी आर अपनी सुरक्षा के लिये मुसलमानों से मंदिर जैसे तर्कहीन मुद्दे पर निर्णायक संघर्ष भी गलत ह। आइये हम आप मिलकर एक ऐसा पृथक मंच बनावे जो मसलमानों को समान नागरिक संहिता तथा धर्मपरिवर्तन कराने के प्रयासो से दूर रहने हेतु मजबूर कर सके।

आपने जयप्रकाश जी तथा गांधी जी के प्रयासों का उल्लेख किया। छुआछूत, जातीय कट्टरवाद, बालविवाह, बहु विवाह आदि कुप्रथाऍ हिन्दू धर्म को कमजोर करती हैं। यदि जयप्रकाश जी और गांधी जी ने हिन्दूधर्म की कुरीतियों के विरूद्ध आवाज उठाई तो उसमें गलत क्या है। वे हिन्दू थे। उन्हें अपने विषय म ये प्रश्न उठाने का अधिकार था। उन्होंने मुसलमानों के आन्तरिक मामला में हस्तक्षेप न करके अच्छा किया। आज मुसलमान अपनी कट्टरता के कारण ही शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय आदि में हिन्दुओं से बहुत पिछड़ रहा है। किन्तु यदि मुसलमान कट्टरता के कारण पिछड़ रहा है तो उसे विशेष सुविधा देकर आगे लाया जावे ऐसे प्रयासों का मैं विरोधी हूॅ और गांधी जयप्रकाश भी विराध करते। हमें वस्तुस्थिति को ठीक से समझना है। अपनी कुरीतियों को निरंतर दूर करना है किन्तु कुरीतियों का ऐसा रोना नहीं रोना है कि उसका लाभ कट्टरवादी उठा सकें इतना सतर्क भी रहना है।
अंत में मेरा सबसे निवेदन है कि आप वास्तविक धर्म निरपेक्षता के प्रयत्न म इकट्ठे होने में सहयोग करने की कृपा करें।

4 श्री बच्छराज खटेर 44 तिलजलारोड फ्लैट 32 श्री अपार्टमेन्ट कलकत्ता, बंगाल

प्रश्न – कलकत्ता में आपसे संक्षिप्त चर्चा बहुत संतुष्ट कर सकी। सारी चर्चा के बाद मन में कुछ प्रश्न उठे :–

1. वर्तमान समय में भारत में कौन सी ऐसी समस्या है जो भारत के माग स्थल को छू सकती है? उस समस्या के समाधान का मार्ग क्या है? हममें समाधान की शक्ति कितनी है? उस समाधान कारक शक्ति के उपयोग का तरीका क्या है?
2. विनोबा जी के जमाने में पद यात्राओं तथा वाहन यात्राओं का लम्बा सिलसिला चलने के बाद भी कोई सगठित जनशक्ति पकट नहीं हो सकी। कारण क्या है?
3. सर्वोदय के नाम पर रचनात्मक कार्य करन वाले कार्यकर्ताओं में अहिंसा की कितनी गहरी समझ तथा अहिंसक तरीका के प्रति कितनी गहरी निष्ठा हैं?
4. सर्वोदय वाले सत्याग्रह का उपदेश तो हर बात में देतें हैं किन्तु आज तक सर्वोदय ने कोई सफल सत्याग्रह नहीं किया। क्यों?
5. हम वर्तमान स्थिति में अहिंसक तरीके से अन्याय आर अत्याचार का मुकाबला कैसे करें?
6. क्या हम बिना सत्याग्रह के वर्तमान अन्यायी व्यवस्था को बदल सकते हैं?

उत्तर– कलकत्ता में हुई आपसे अल्पकालिक चर्चा तथा आपके आज के प्रश्नों से यह सिद्ध हो चुका है कि आप गंभीर चिंतन की शक्ति तथा इच्छा रखते हैं। अतः विस्तृत चर्चा उचित प्रतीत होती है। प्रश्न संख्या दो, तीन ओर चार सर्वोदय से संबंधित हैं। आप सर्वोदय से जुड़े हुए सर्वोदय कार्यकर्ता हैं किन्तु आपने मुझे कलकत्ता की चर्चा में सवादय कार्यकर्ता मान लिया जबकि मैं तो सर्वोदय मित्र मात्र हूॅ, सर्वोदय को अभी समझ ही रहा हूॅ। सर्वोदय कार्यकर्ताओं और मुझमें बहुत अन्तरशेष है। सर्वोदय कार्यकर्ता प्रायः खादी ही पहनते हैं जबकि मुझे घर से जो भी कपड़ा मिले, मैं पहन लेता हूॅ। सर्वोदय के लोग सैद्धान्तिक रूप से भी अहिंसक होते हैं और व्यावहारिक रूप से भी। मैं व्यावहारिक रूप में ही अहिंसक हूॅ। अन्तर यह है कि सवोदय कार्यकर्ता व्यक्तिगत और सामाजिक हिंसा के साथ साथ प्रशासनिक हिंसा का भी विरोध करते हैं जबकि मैं व्यक्ति और सामाजिक हिंसा के तो विरूद्ध हूॅ किन्तु प्रशासनिक हिंसा का पूरी तरह पक्षधर हूॅ। सर्वोदय कार्यकर्ता समाज परिवर्तन और व्यवसायी परिवर्तन में से समाज परिवर्तन पर अधिक जोर देते हैं और मैं समाज परिवर्तन की अपेक्षा व्यवस्था परिवर्तन पर अधिक जोर देता ह्। सर्वोदय कार्यकर्ताआ का वैयक्तिक आचरण और त्याग तपस्या भी मुझसे अधिक ऊॅचा है। साथ ही यह भी सच है कि सर्वोदय के विषय में जानकारी कम होने के कारण सर्वोदय मित्रों ने मुझे सर्वोदय के संबंध में कुछ बोलने या लिखने में परहेज करने की सलाह दी है। अतः इस संबंध में मैं आपको अधिक स्पष्ट करना उचित नहीं समझता।

भारत में मेरे विचार में ग्यारह समस्याऍ प्रमुख हैं किन्तु इन सबमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कानून का सम्मान करने वाले के मन में अपराधियों और पुलिस का बढ़ता भय तथा कानून के प्रति घटता विश्वास। दूसरी ओर कानून तोड़ने वाले के मन में पुलिस और समाज का घटता भय और कानून पर बढ़ता विश्वास।

आम आदमी महसूस करता है कि उसे प्रशासन से न्याय नहीं मिलेगा अतः वह धीरे धोरे कानून हाथ में लेने लगा हैं। दूसरी ओर हर अपराधी के मन में पुलिस आर समाज का भय घटता जा रहा है। हर अपराधी भी धीरे धीरे हिंसा की ओर बढ़ रहा है। जिन्हें भयग्रस्त होना था वे भय मुक्त होंगे और जिन्हें भय मुक्त होना था वे भयग्रस्त हो गये। यह सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के समाधान के लिये सरकार के पास न्याय और सुरक्षा के अतिरिक्त ऐसे सभी दायित्व हटा दें जो स्थानोय इकाइयां या शासन के अतिरिक्त अन्य ईकाइयॉ कर सकती है। इससे शासन के न्याय और सुरक्षा के लिये पर्याप्त शक्ति मिलेगी तथा यह समस्या दूर हो जायेगी।

इस कार्य के लिये हमें भारतीय संविधान में संशोधन कराने या करने होंगे। यह कार्य जनमत जागरण से संभव हैं। हम जनमत जागरण का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। आप सबके सहयोग से सफलता अवश्य मिलेगी। अन्याय और अत्याचार का मक़ाबला अहिंसक तरीके से संभव है। समाज की शक्ति शासन से पृथक करके खड़ी करनी होगी। अधिकांश अपराध ता समाज के भय से ही रूक जावेंगे। जो नहीं मानें उन्हें शासन दण्डित कर सकेगा। रामानुजगंज शहर में अहिंसक शक्ति का पूरा प्रयोग हुआ है। आप कभी आ सकें तो और विचार संभव है।

प्रजातंत्र में व्यवस्था वोट से बदल सकती है। सत्याग्रह का महत्व तब था जब व्यवस्था परिवर्तन का कोइ और संवैधानिक मार्ग नहीं था। आज भारत में वैसा नहीं है। अतः सत्याग्रह जनमत जागरण के उद्देश्य से करना हो तो कर सकते हैं अन्यथा बिना सत्याग्रह व्यवस्था बदलना संभव है। इस संबंध में और प्रश्न तथा समीक्षा भेजे तो अधिक अच्छा मंथन संभव है।

.....